104/2021

प्रार्थी को सूचना अधिनियम 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का / कार्यालय तहसीलदार रीनवाड़

आवेदन पत्र की संख्या में जाम की गई। किया अनुसार अवगत, निवेदन है कि ग्राम पंचायत रीनवाड़ के खाता सं. 221, 323 में प्रार्थी का नाम विरधु पुत्र विद्यानाथ जाति- कुम्हार की रिकॉर्ड है जबकि उक्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम बृजमोहन दर्ज है अतः उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रार्थी का नाम विरधु के स्थान बृजमोहन दर्ज किया जाने उचित है।

क्रमांक राजस्व / 2021 / (शुद्धि किया जाना उचित है)

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णनानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अनुशंसा की जाती है।

14-10-2021

2/225

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)

— आदेश —

दिनांक – 14-10-2021

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवेदन साक्षी एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 156 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नांकित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार भू0अ0 उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	रीनवाड़	2015-78	221 323	विरधु पुत्र विद्यानाथ	बृजमोहन पुत्र विद्यानाथ

नोट :–शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक – 14-10-2021

क्रमांक – राजस्व / 2021 / 76-77

प्रतिलिपि –

1 तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढ़ागौड़जी को वास्ते पालना।

2 प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 10:46:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner